उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. : /C-4/ NGT-165 /2023 Date : 31-10-23

To, H02482
The Registrar General,
Hon'ble National Green Tribunal,
New Delhi.

Sub:- Action Taken Report of U.P. Pollution Control Board in the matter of O.A No. 537 of 2022 Mukesh Kumar ChouhanVs State of Uttar Pradesh & Ors. as per order of Hon'ble National Green Tribunal dated 28.08.2023.

Respected Sir,

The Hon'ble NGT passed the order dated 28.08.2023 in the matter of O.A No. 537 of 2022 Mukesh Kumar Chouhan Vs State of Uttar Pradesh & Ors. Hon'ble National Green Tribunal was pleased to pass an order dated 28.08.2023, the operative portion of order is as given below:-

"........4. Learned Counsel for UPPCB has submitted that UPPCB will look into the matter of grant of consent on requisite compliance/issuing appropriate directions for closure.

7. Learned Counsel for the respondents no. 2, 4 and 5 to 8 seek time for filing of Action Taken Report/Status Report regarding remedial measures.

8. Action Taken Report/Status Report by respondents no. 2, 4 and 5 to 8 be filed within two months at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF.

9. List for further consideration on 02.11.2023."

Please find herewith the Action Taken Report in compliance of the above directions of Hon'ble National Green Tribunal.

Yours Sincerely,

Encl: As above.

(Pradeep Sharma)
Chief Environmental Officer,
Circle-4

टी.सी 12 वीं, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC. 12V Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

Action Taken Report of U.P. Pollution Control Board in the matter of O.A No. 537 of 2022 Mukesh Kumar ChouhanVs State of Uttar Pradesh & Ors. as per order of Hon'ble National Green Tribunal dated 28.08.2023

In the O.A No. 537 of 2022 Mukesh Kumar Chouhan Vs State of Uttar Pradesh & Ors. Hon'ble National Green Tribunal was pleased to pass an order dated 28.08.2023, the operative part of which is quoted below:-

"........4. Learned Counsel for UPPCB has submitted that UPPCB will look into the matter of grant of consent on requisite compliance/issuing appropriate directions for closure.

7. Learned Counsel for the respondents no. 2, 4 and 5 to 8 seek time for filing of Action Taken Report/Status Report regarding remedial measures.

8. Action Taken Report/Status Report by respondents no. 2, 4 and 5 to 8 be filed within two months at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF.

9. List for further consideration on 02.11.2023."

In compliance of the earlier direction passed by the Hon'ble National Green Tribunal on 05.09.2022 the Joint Committee of the Officials of District Administration Aligarh, Central Pollution Control Board Lucknow and Regional Officer, U.P. Pollution Control Board Aligarh visited the site on 10.11.2022. The report of Joint Committee was submitted before the Hon'ble Tribunal.

Again in compliance with the direction passed by Hon'ble National Green Tribunal on 12.01.2023, the response has been filed before the Hon'ble NGT vide letter dt.11.02.2023.

2- The site was inspected on 12.09.2023 by the officials of Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Aligarh and it was found that requisite actions have not been taken to control the dust emissions during the loading unloading and transportation of clinker. The copy of the inspection report is enclosed as **Annexure-I.**

3- The Environmental Compensation of Rs. 1,68,750/- against Station Superintendent, Harduaganj Railway Station, Aligarh has been imposed vide letter dt. 22.09.2023 by U.P. Pollution Control Board as recommended by Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Aligarh. The copy of the letter dt. 22-09-2023 is enclosed as **Annexure-II**.

4- The online Consolidated Consent to Operate and/or Authorization application dt. 30.08.2023 has been submitted by unit M/s Goods Shed Harduaganj, Railway Station Harduaganj, Aligarh has been refused by the Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Aligarh on 22.09.2023. The copy of the refusal letter dt. 22.09.2023 is enclosed as **Annexure-III**.

5- M/s Goods Shed Harduaganj, Railway Station Harduaganj, Aligarh has again submitted the online Consolidated Consent to Operate and/or Authorization application on 27.10.2023 which is under process.

6- As per official record the imposed Environmental Compensation of Rs. 1,68,750/- has not been deposited by the Station Superintendent, Harduaganj Railway Station, Aligarh. The Member Secretary, U.P. Pollution Control Board has requested District Magistrate, Aligarh to recover the amount of imposed Environmental Compensation of Rs. 1,68,750/- as arrear of land revenue. The copy of the letter dt. 30.10.2023 is enclosed as **Annexure-IV**.

With reference to the Hon'ble NGT order dated 28.08.2023, the aforesaid Action Taken Report is being hereby filed.

30.10.23

Environmental Engineer (C-4)
U.P. Pollution Control Board,
Lucknow

Chief Environmental Officer (C-4)
U.P. Pollution Control Board,
Lucknow

Annexure-I

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जे-1, ज्ञान सरोवर कॉलौनी, रामघाट रोड, अलीगढ़

पत्रांक 1223/OA No-537/23 दिनांक 12-9-23

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4),
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या–एच88949/सी–4/सा–II–844/2022 दिनांक 11.02.2023 के द्वारा रू0 1,68,750/– (रू0 एक लाख अडसठ हजार सात सौ पच्चास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी कारण बताओं नोटिस के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच88949/सी–4/सा–II–844/2022 दिनांक 11.02.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। शिकायती स्थल मै0 हरदुआगंज रेलवे स्टेशन, हरदुआगंज, अलीगढ़ का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 12.09.2023 को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या पत्र के साथ संलग्न कर इकाई को जारी कारण बताओं नोटिस की पुष्टि सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या–एच88949 / सी–4 / सा–II–844 / 2022 दिनांक 11.02.2023 के द्वारा रू0 1,68,750 / – (रू0 एक लाख अडसठ हजार सात सौ पच्चास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी कारण बताओं नोटिस के सम्बन्ध में शिकायती स्थल हरदुआगंज रेलवे स्टेशन, हरदुआगंज, अलीगढ़ की निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या–426 / 2023 सुरेन्द्र सिंह चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य में दिनांक 01.08.2023 को आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है:–

1. The grievance in this present application is regarding air pollution caused in the area of Village Satha, District Aligarh, UP during loading and unloading of clinker by Birla Uttam Cement Company, C.D.F., Cherat at Harduaganj Railway Station.
2. The applicant has submitted that clinker is being loaded and unloaded at the above-mentioned Railway Station by the Project Proponent for the last six years. The air and dust pollution caused during loading and unloading of clinker is posing serious health hazards to the residents of the locality and is also adversely affecting fertility of the adjoining agricultural land.
3. Prima facie, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of State PCB and District Magistrate, Aligarh and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.
4. Factual and Action taken Report may be submitted within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
5. List for further consideration on 10.10.2023.
6. A copy of this order, along with a copy of the application and documents attached with the same, be forwarded to the Member Secretary, State PCB and District Magistrate, Aligarh by e-mail for requisite compliance.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–457 / 2023 एस0एस0 सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 02.08.2023 के मुख्य अंश निम्नवत है–

1. The grievance in this present application is regarding air pollution caused in the area of Village Cherat, District Aligarh, UP during loading and unloading of clinker by Mangalam Cement Company, Cherat at Harduaganj Railway Station.
2. The applicant has submitted that clinker is being loaded and unloaded at the above-mentioned Railway Station by the Project Proponent for the last seven years. The air and dust pollution caused during loading and unloading of clinker is posing serious health hazards to the residents of the locality and is also adversely affecting fertility of the adjoining agricultural land.
3. Similar matter (O.A. No. 426/2023) complaining about air pollution by loading and unloading of clinker at Harduaganj Railway Station came up for hearing before this Tribunal and this Tribunal vide order dated 01.08.2023 constituted a joint Committee with direction to verify the factual position and submit factual and action taken report within one 2 month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
4. List for further consideration on 10.10.2023 along with O.A. No. 426/2023.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश दिनांक 01.08.2023 एवं 02.08.2023 के अनुपालन में शिकायती स्थल हरदुआगंज, रेलवे स्टेशन, हरदुआगंज, अलीगढ़ पर क्लिंकर की लॉड़िंग–अनलोड़िंग से जनित वायु प्रदूषण की जॉच किये जाने हेतु जिलाधिकारी–अलीगढ़ के कार्यालय आदेश संख्या–1087/ओ.एं. नं.–426/2023 दिनांक 17.08.2023 **(छायाप्रति संलग्न–1)** के द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों की सयुंक्त समिति गठित की गयी है–

1. उप जिलाधिकारी, तहसील–कोल, जनपद अलीगढ़।
2. सहायक पर्यावरण अभियन्ता/अवर अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या–एच99721/सी–4/विधि/एन.जी.टी. नं.–457/2023 दिनांक 22.08.2023 **(छायाप्रति संलग्नक–2)** के द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, अलीगढ़ को राज्य बोर्ड के प्रतिनिधित्व हेतु नामित किया गया है।

शिकायती स्थल हरदुआगंज, रेलवे स्टेशन, हरदुआगंज, अलीगढ़ का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 12.09.2023 को किया गया। निरीक्षण एवं वार्ता के समय निम्नलिखित व्यक्ति उपस्थित थें:–

1. श्री डी.के. गौतम, स्टेशन अधीक्षक, हरदुआगंज रेलवे स्टेशन, हरदुआगंज, अलीगढ़।
2. श्री हेमराज मीना, चीफ गुड सुपरवाइजर, हरदुआगंज रेलवे स्टेशन, हरदुआगंज, अलीगढ़।
3. श्री मनीष कुमार, प्रबन्धक, मै0 मंगलम सीमेण्ट, सी0डी0एफ0 काम्प्लेक्स, छेरत, अनूपशहर रोड, अलीगढ़।
4. श्री संजय यादव, प्रबंधक, मै0 विजन नेक्स्ट रोड लॉजिस्टिक प्रा0लि0, 103, क्लासिक होम्स अपार्टमेन्ट, मैरिस रोड, अलीगढ़।
5. श्री राजा, सुपरवाइजर, मै0 पी एण्ड पी एक्जिम प्रा0लि0, सूतमिल चौराहा, जनपद–अलीगढ़।

निरीक्षण आख्या निम्नवत् हैः–

1. निरीक्षण के समय रेलवे स्टेशन हरदुआगंज, अलीगढ़ के अक्षांश–27.990085 देशान्तर–78.127543 पाये गये।
2. निरीक्षण के समय रेलवे स्टेशन हरदुआगंज, अलीगढ़ के रेलवे साइड़िग की लाइन नं.–14 के किनारे क्लिंकर की लोडिंग/अनलोडिंग का कार्य होता हुआ पाया गया, निरीक्षण के समय खीचे गये फोटोग्राफ संलग्न है। **(संलग्नक–3)**
3. निरीक्षण के समय पाया गया कि मै0 मंगलम सीमेण्ट, सी0डी0एफ0 काम्प्लेक्स, छेरत, अनूपशहर रोड, अलीगढ़ के द्वारा ट्रांसपोर्ट एजेन्सी मै0 पी एण्ड पी एक्जिम प्रा0लि0, सूतमिल चौराहा, जनपद–अलीगढ़ के माध्यम से रेलवे स्टेशन हरदुआगंज, अलीगढ़ के रेलवे साइड़िग की लाइन नं.–14 के किनारे क्लिंकर की लोडिंग/अनलोडिंग कर ट्रकों के द्वारा क्लिंकर को भरकर मै0 मंगलम सीमेण्ट, सी0डी0एफ0 काम्प्लेक्स, छेरत, अनूपशहर रोड, अलीगढ़ तक आवागमन किया जाता है।
4. निरीक्षण के समय रेलवे स्टेशन हरदुआगंज, रेलवे साईड़िग के लाइन नं.–14 के किनारे स्थित लोडिंग/अनलोडिंग के मार्ग पर वाटर स्प्रिंकिलिंग का कार्य होता हुआ नही पाया गया। निरीक्षण के समय स्थल पर स्थापित 02 नग पोर्टेबल एन्टी स्मोगगन संचालित नहीं पाये गये।
5. निरीक्षण के समय हरदुआगंज, रेलवे साईड़िग पर वाहनों के आवागमन एवं लोडिंग/अनलोडिंग से जनित डस्ट के नियंत्रण हेतु रेलवे स्टेशन, हरदुआगंज की पूरब एवं पश्चिम दिशा में लगभग–20 फीट ऊँची तथा लगभग–600 मीटर दोनों तरफ लम्बाई में अस्थाई ग्रीन नेट स्थापित पायी गयी, जोकि निरीक्षण के समय क्षतिग्रस्त पायी गयी। **(फोटोग्राफ संलग्न–4)**।
6. बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या–एच88949/सी–4/सा–II–844/2022 दिनांक 11.02.2023 **(छायाप्रति संलग्नक–5)** के द्वारा रू0 1,68,750/– (रू0 एक लाख अडसठ हजार सात सौ पच्चास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है।

7. हरदुआगंज, रेलवे स्टेशन, हरदुआगंज, अलीगढ़ पर क्लिंकर की लॉड़िग–अनलोड़िग से जनित वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं.–537/2022 मुकेश कुमार चौहान बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं अन्य विचाराधीन है, जिसमें दिनांक 28.08.2023 को आदेश पारित गया है, जोकि निम्नवत् है–

1- Pursuant to service of notice on respondent no. 8 in compliance of order dated 24.05.2023, Mr. Manu Garg, Advocate has appeared on behalf of respondent no. 8. Reply on behalf of respondent no. 8 has also been filed vide email dated 26.08.2023.
2- Action Taken Report has also been filed by DRM. North Central Railway, Prayagraj vide email dated 25.08.2023
3- In the above said Action Taken Report, it has been mentioned that applications for consent filed on behalf of DRM, North Central Zone, Prayagraj Division, U.P. were rejected twice by UPPCB.
4- Learned Counsel for UPPCB has submitted that UPPCB will look into the matter of grant of consent on requisite compliance/issuing appropriate directions for closure.
5- Mr. Himanshu Badoni, DRM, North Central Zone, Prayagraj Division, U.P. has appeared before this Tribunal through VC and we have interacted with him. Mr. Himanshu Badoni, DRM, North Central Zone, Prayagraj Division, U.P has mentioned that tender has been floated and the requisite remedial measures are being taken.
6- In reply filed by respondent no. 5 it has been mentioned that brand new green cloth has been provided on both sides of the railway sidings. We are of the considered view that till the time long term remedial measures are executed, the aspect of replacement of green cloth with tin sheets may also be considered for the purpose of preventing/controlling the dust pollution likely to be generated during loading unloading of clinker.
7- Learned Counsel for the respondents no. 2, 4 and 5 to 8 seek time for filing of Action Taken Report/Status Report regarding remedial measures.
8- Action Taken Report/Status Report by respondents no. 2, 4 and 5 to 8 be filed within **two months** at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF.
9- List for further consideration on 02.11.2023

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या–एच88949/सी–4/सा–II–844/2022 दिनांक 11.02.2023 **(छायाप्रति संलग्नक–5)** के द्वारा रू0 1,68,750/– (रू0 एक लाख अडसठ हजार सात सौ पच्चास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी कारण बताओं नोटिस की पुष्टि सहित निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(जितेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रयोगशाला सहायक

12/09/23
(अजय कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

संलग्नक-1

कार्यालय जिलाधिकारी, अलीगढ़

पत्रांक: 1087/OA No-426/2023 दिनांक: 17-08-23

कार्यालय आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–426/2023 सुरेन्द्र सिंह चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 के मुख्य अंश निम्नवत् हैः–

1. The grievance in this present application is regarding air pollution caused in the area of Village Satha, District Aligarh, UP during loading and unloading of clinker by Birla Uttam Cement Company, C.D.F., Cherat at Harduaganj Railway Station.
2. The applicant has submitted that clinker is being loaded and unloaded at the above-mentioned Railway Station by the Project Proponent for the last six years. The air and dust pollution caused during loading and unloading of clinker is posing serious health hazards to the residents of the locality and is also adversely affecting fertility of the adjoining agricultural land.
3. Prima facie, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of State PCB and District Magistrate, Aligarh and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.
4. Factual and Action taken Report may be submitted within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
5. List for further consideration on 10.10.2023.
6. A copy of this order, along with a copy of the application and documents attached with the same, be forwarded to the Member Secretary, State PCB and District Magistrate, Aligarh by e-mail for requisite compliance.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायरएवं ओ0ए0 संख्या–457/2023 एस0एस0 सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 02.08.2023 के मुख्य अंश निम्नवत है–

1. The grievance in this present application is regarding air pollution caused in the area of Village Cherat, District Aligarh, UP during loading and unloading of clinker by Mangalam Cement Company, Cherat at Harduaganj Railway Station.

2. The applicant has submitted that clinker is being loaded and unloaded at the above-mentioned Railway Station by the Project Proponent for the last seven years. The air and dust pollution caused during loading and unloading of clinker is posing serious health hazards to the residents of the locality and is also adversely affecting fertility of the adjoining agricultural land.
3. Similar matter (O.A. No. 426/2023) complaining about air pollution by loading and unloading of clinker at Harduaganj Railway Station came up for hearing before this Tribunal and this Tribunal vide order dated 01.08.2023 constituted a joint Committee with direction to verify the factual position and submit factual and action taken report within one 2 month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
4. List for further consideration on 10.10.2023 along with O.A. No. 426/2023.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 एवं 02.08.2023 के अनुपालन में शिकायती स्थल हरदुआगंज, रेलवे स्टेशन, हरदुआगंज, अलीगढ़ पर क्लिंकर की लॉड़िग–अनलोड़िग से जनित वायु प्रदूषण की जॉच किये जाने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की सयुंक्त समिति गठित की जाती है–

1. उप जिलाधिकारी, तहसील–कोल, जनपद अलीगढ़।
2. सहायक पर्यावरण अभियन्ता/अवर अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।

गठित समिति के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में 15 दिन के अन्दर स्थलीय निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करने के साथ–साथ नियमानुसार समयान्तर्गत मा0 एन0जी0टी0 की ई–मेल आई0डी0 judicial-ngt@gov.in पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।

(इन्द्र विक्रम सिंह)
जिलाधिकारी, अलीगढ़।

<u>प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।
2. उप जिलाधिकारी, तहसील–कोल, जनपद अलीगढ़।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।

जिलाधिकारी, अलीगढ़।

संलग्नक-2

UPPCB
उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पत्रांक : 499721 / सी–4 / विधि / एनजीटी नं0–457 / 2023, दिनांक 22-08-23

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

डाक प्राप्ति
दिनांक 28/08/23 हस्ताक्षर ....
डायरी सं0........ फाइल नं0........

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अलीगढ़।

विषय :मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–426 / 2023 सुरेन्द्र सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. में पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 के अनुपालन के संबंध में

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–426 / 2023 सुरेन्द्र सिंह चौहान बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. में पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् हैं:–

"…..3. *In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of State PCB and District Magistrate, Aligarh and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.*

4. *Factual and Action taken Report may be submitted within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.*

5. *List for further consideration on 10.10.2023."*

उक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के प्रतिनिधित्व हेतु डॉ0 जे0पी0 सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ (मो0 नं0–7839891773 ई–मेल–roaligarh@uppcb.in) को नामित किया जाता है।

अतः अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0 के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति हेतु प्रतिनिधि नामित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :–

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि माननीय एन0जी0टी0 के आदेशों के अनुपालन में गठित समिति के साथ समन्वय स्थापित कर, निर्धारित समयावधि में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से मुख्यालय को अवगत करायें।
2. विधि अधिकारी–प्रथम, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

सदस्य सचिव

टी.सी.–12वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

28/8/23

संलग्नक -3

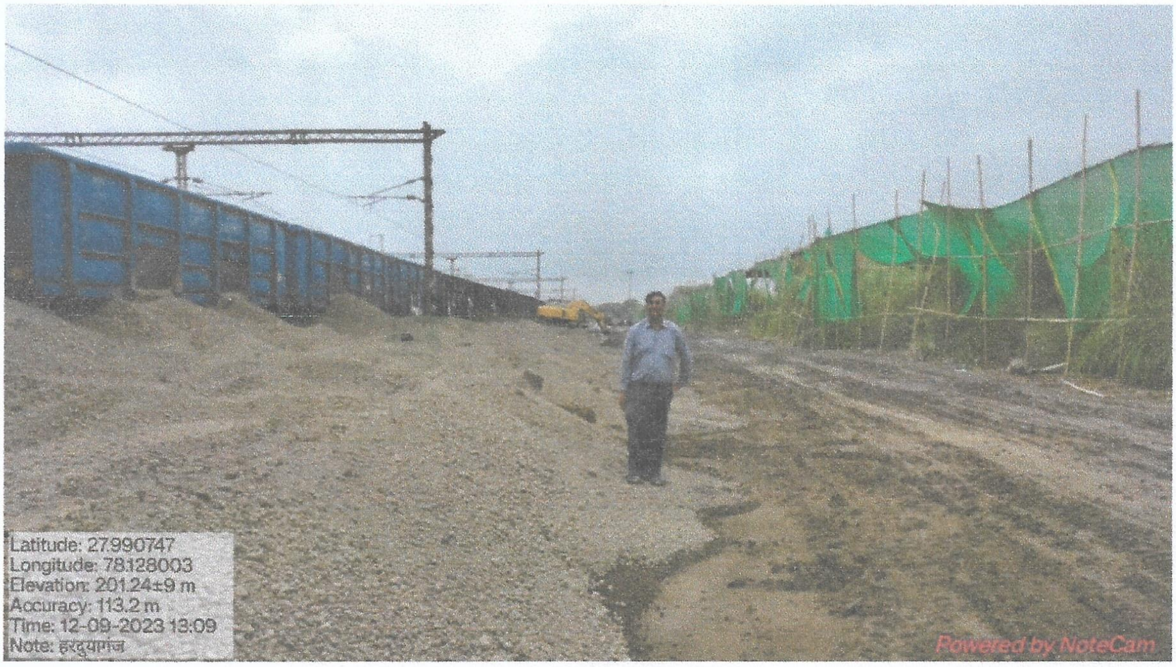
Latitude: 27.990747
Longitude: 78.128003
Elevation: 201.24±9 m
Accuracy: 113.2 m
Time: 12-09-2023 13:09
Note: हरदुआगंज
Powered by NoteCam

Latitude: 27.990973
Longitude: 78.128169
Elevation: 187.73±6 m
Accuracy: 9.1 m
Time: 12-09-2023 13:07
Note: हरदुआगंज
Powered by NoteCam

संलग्नक-4

Powered by NoteCam
Latitude: 27.990778
Longitude: 78.128046
Elevation: 197.58±8 m
Accuracy: 15.3 m
Time: 12-09-2023 13:08
Note: हरदुआगंज

संलग्नक-5

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

पत्रांक : 1-188949 /सी–4/सा–II–846/2022-23 दिनांक : 11-02-23

स्टेशन अधीक्षक,
हरदुआगंज रेलवे स्टेशन,
जनपद–अलीगढ़।

यह कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ०ए० संख्या 537/2022 मुकेश कुमार चौहान बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० पारित आदेश दिनांक 05.09.2022 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 10.11.2022 को हरदुआगंज रेलवे स्टेशन, अलीगढ़ का निरीक्षण एवं परिवेशीय वायु गुणता अनुश्रवण कार्य किया गया था। परिवेशीय वायु गुणवता मानकों से अधिक पाई गयी थी। संयुक्त निरीक्षण आख्या एवं निरीक्षण के दौरान किये गये अनुश्रवण आख्या की विस्तृत रिपोर्ट मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के ई–मेल आईडी पर अपलोड किया जा चुका है। संयुक्त समिति द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान पायी गयी कमियों के सम्बन्ध में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु सुझाव दिया गया है।

यह कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 10.11.2022 को किये गये निरीक्षण की प्रति क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के पत्र संख्या–2256/ओ०ए०–253/2022 दिनांक 14.12.2022 के द्वारा स्टेशन अधीक्षक, हरदुआगंज रेलवे स्टेशन, अलीगढ़ को पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका आप द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया एवं न ही कोई प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया।

यह कि स्टेशन अधीक्षक, हरदुआगंज रेलवे स्टेशन, अलीगढ़ को पुनः क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के पत्र संख्या–2535 दिनांक 23.01.2023 के माध्यम से संयुक्त निरीक्षण आख्या दिनांक 10.11.2022 में दिये गये Recommendations, concluding remarks के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए आख्या इस क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी, परन्तु उक्त के संबंध में आप द्वारा कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नही कराया गया।

यह कि हरदुआगंज रेलवे स्टेशन, अलीगढ़ के शिकायती स्थल का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 09.01.2023 को किया गया है। निरीक्षण आख्या के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार निरीक्षण के समय मै० विजन नेक्स्ट रोड लाइन द्वारा मै० इन्वायरों टैंक सर्विसेस, प्लॉट संख्या–132, एस०एस० ऑफ जी०टी० रोड, औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद द्वारा हरदुआगंज रेलवे स्टेशन एवं ग्राम–साथा का परिवेशीय वायु गुणवता का अनुश्रवण लोडिंग एवं अनलोडिंग दोनों स्थितियों में कराया गया है। निरीक्षण आख्या के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार निरीक्षण के समय रेलवे स्टेशन हरदुआगंज के रेलवे साइडिंग एवं वाहनों के अवागमन हेतु मार्ग कच्चा होने के कारण डस्ट/धूल उड़ना स्वाभाविक है। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि मै० विजन नेक्स्ट रोड लाइन द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त रास्ता एवं रेलवे साइडिंग को पक्का बनाने हेतु रेलवे द्वारा कार्य किया जाना है। निरीक्षण आख्या के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार निरीक्षण के समय हरदुआगंज रेलवे साइडिंग पर वाहनों के आवागमन एवं लोडिग/अनलोडिंग से जनित फ्यूजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु रेलवे स्टेशन की पूरब एवं पश्चिम दिशा साइट से लगभग–20 फीट ऊँची 600 मीटर दोनों तरफ लम्बी अस्थाई ग्रीन नेट से बाउण्ड्री कवर्ड किया गया है। निरीक्षण आख्या के बिन्दु संख्या 6 के अनुसार निरीक्षण के समय मालगाड़ी/रैक मौजूद न होने के कारण अनलोडिंग का कार्य होता हुआ नहीं पाया गया, किन्तु लोडिंग कार्य हो रहा था। निरीक्षण के समय लोडिंग के दौरान वर्कर द्वारा उपयुक्त पी०पी०ई० का प्रयोग होता हुआ नही पाया गया। निरीक्षण आख्या के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार निरीक्षण के समय रेलवे साइडिंग पर स्थित बोरवेल पर पम्प सेट स्थापित पायी गयी। उक्त बोरवेल से पानी दोहन की अनुमति जिला स्तरीय भूगर्भ जल प्राधिकरण, अलीगढ़ से प्राप्त किया गया है अथवा नहीं के सम्बन्ध में कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया है। निरीक्षण आख्या के बिन्दु संख्या 8 के अनुसार निरीक्षण के समय उपस्थित मै० विजन नेक्स्ट रोड लाइन द्वारा अवगत कराय गया है

टी.सी.–12वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

कि रेलवे साइडिंग हरदुआगंज पर स्थित उक्त बोरवेल रेलवे का है। जल दोहन की अनुमति रेलवे को प्राप्त करनी है एवं हमारे द्वारा पानी के छिड़काव हेतु मै0 जे0के0 सीमेण्ट उद्योग से पानी के टैंकर भरकर लाया जाता है।

यह कि दिनांक 09.01.2023 को किये गये निरीक्षण के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार निरीक्षण के समय विजन नेक्स्ट रोड लाइन द्वारा मै0 इन्वायरो टैंक सर्विसेस, प्लॉट संख्या–132, एस0एस0 ऑफ जी0टी0 रोड, औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद द्वारा हरदुआगंज रेलवे स्टेशन एवं ग्राम–साथा का परिवेशीय वायु गुणवता का अनुश्रवण लोडिंग एवं अनलोडिंग दोनों स्थितियों में कराया गया है। परिवेशीय वायु गुणवता बोर्ड मानकों के अनुरूप है।

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के पत्र संख्या–2905/ओ0ए0–537/22/2023, दिनांक 11.02.2023 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या 537/2022 मुकेश कुमार चौहान बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 पारित आदेश दिनांक 05.09.2022 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा अपनी निरीक्षण आख्या में दिये सुझाव के अन्तर्गत स्टेशन अधीक्षक, हरदुआगंज रेलवे स्टेशन, अलीगढ़ के विरूद्ध दिनांक 14.12.2022 से दिनांक 09.01.2023 तक पर्यावरण अधिनियमों/नियमों के समुचित अनुपालन के अभाव में कुल 27 उल्लंघन दिवसों हेतु रू0 1,68,750/– (रू0 एक लाख अड़सठ हजार सात सौ पचास मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने के साथ–साथ हरदुआगंज रेलवे स्टेशन, अलीगढ़ के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गई है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ़ की संस्तुति दिनांक 11.02.2023 के अनुक्रम में मै0 हरदुआगंज रेलवे स्टेशन, अलीगढ़ के विरूद्ध दिनांक 14.12.2022 से दिनांक 09.01.2023 तक पर्यावरण अधिनियमों/नियमों के समुचित अनुपालन के अभाव में कुल 27 उल्लंघन दिवसों हेतु रू0 1,68,750/– (रू0 एक लाख अड़सठ हजार सात सौ पचास मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निम्नवत् कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न पर्यावरण अधिनियमों/नियमों के समुचित अनुपालन न किये जाने के फलस्वरूप स्टेशन अधीक्षक, हरदुआगंज रेलवे स्टेशन, अलीगढ़ के विरूद्ध रू0 1,68,750/– (रू0 एक लाख अड़सठ हजार सात सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दिया जाये।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना प्रतिउत्तर सुसंगत अभिलेखों/साक्ष्यों सहित पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयावधि में सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने के स्थिति में उपरोक्त वर्णित निर्देश की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिम्मेदार प्रतिनिधियों का होगा।

<u>सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।</u>

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, अलीगढ़।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ कि 15 दिन के अन्दर स्थलीय निरीक्षण कर, उपरोक्त पर विस्तृत आख्या प्रेषित करें।

Atul Yadav

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

Annexure-II

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

पत्रांक : H01141 /सी–4/सा–II–844/पर्या0क्षति0/2023, दिनांक : 22-9-23

सेवा मे,

स्टेशन अधीक्षक,
हरदुआगज रेलवे स्टेशन,
जनपद–अलीगढ़।

विषय : मै0 हरदुआगंज रेलवे स्टेशन, हरदुआगंज, जनपद–अलीगढ़ के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation) अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या 537/2022 मुकेश कुमार चौहान बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 पारित आदेश दिनांक 05.09.2022 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा हरदुआगंज रेलवे स्टेशन, अलीगढ़ के शिकायती स्थल का निरीक्षण दिनांक 10.11.2022 एवं क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ़ द्वारा 09.01.2023 को किया गया था। क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा पत्र संख्या–2905/ओ0ए0–537/22/2023, दिनांक 11.02.2023 के माध्यम से निरीक्षण आख्या मुख्यालय प्रेषित की गई जिसके अनुक्रम में मुख्यालय के पत्रांक –एच88949/सी–4/सा–II–844/2022 दिनांक–11.02.2023 द्वारा स्टेशन अधीक्षक हुरदुआगंज रेलवे स्टेशन अलीगढ़ के विरूद्ध रू0 1,68,750/– (रू0 एक लाख अड़सठ हजार सात सौ पचास मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0–426/2023 सुरेन्द्र सिंह चौहान बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0–457/2023 एस0एस0 सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 02.08.2023 तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0–537/2022 मुकेश कुमार चौहान बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 28.08.2023 के अनुपालन में शिकायती स्थल हरदुआगंज, रेलवे स्टेशन, हरदुआगंज, अलीगढ पर क्लिंकर की लोडिंग–अनलोडिंग से जनित वायु प्रदूषण की जाच किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा द्वारा रेलवे स्टेशन, हरदुआगंज के शिकायती स्थल का निरीक्षण दिनाक 12.09.2023 को किया गया। निरीक्षण के दौरान रेलवे स्टेशन हरदुआगंज, अलीगढ के रेलवे साइडिंग की लाइन न0–14 के किनारे क्लिंकर की लोडिंग/अनलोडिंग का कार्य होता हुआ पाया गया। निरीक्षण के समय पोर्टेबल एन्टी स्मोगगन संचालित नहीं पाये गये तथा लोडिंग/अनलोडिंग के मार्ग पर वाटर स्प्रिंकिलिंग का कार्य होता हुआ नहीं पाया गया। रेलवे साइडिंग पर वाहनों के आवागमन एवं लोडिंग/अनलोडिंग से जनित डस्ट के नियंत्रण हेतु अस्थाई ग्रीन नेट क्षतिग्रस्त स्थापित पायी गयी।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ द्वारा पत्रांक–1223/ओए नं0–537/2023, दिनांक 12.09.2023 के माध्यम से प्रेषित आख्या में क्षेत्रीय अधिकारी, अलीगढ द्वारा मै0 हरदुआगंज रेलवे स्टेशन, हरदुआगंज, जनपद–अलीगढ के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0–एच88949/सी–4/सा–II–844/2022 दिनांक–11.02.2023 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए, दिनांक 14.12.2022 से दिनांक 09.01.2023 तक कुल 27 उल्लंघन दिवसों हेतु रू0 1,68,750/– (रूपया एक लाख अड़सठ हजार सात सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गई है।

अतः क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ द्वारा प्रेषित आख्या/संस्तुति दिनांक 12.09.2023 के अनुक्रम में स्टेशन अधीक्षक, मै0 हरदुआगंज रेलवे स्टेशन, हरदुआगंज, जनपद–अलीगढ़ के विरूद्ध दिनांक 14.12.2022 से दिनांक 09.01.2023 तक कुल 27 उल्लंघन दिवसों हेतु रू0 1,68,750/– (रूपया एक लाख अड़सठ हजार सात सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवं निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के बैंक खाता सं0–701502010002104 IFSC Code UBINO570150 में एक सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

<u>सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।</u>

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, अलीगढ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मै0 हरदुआगंज रेलवे स्टेशन, हरदुआगंज, जनपद–अलीगढ से उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को बोर्ड मुख्यालय के खाते में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें तथा इसकी पुष्टि की सूचना बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

टी.सी.–12वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

Annexure-III

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Building.No. TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226 010
Telephone: +91-522-2720831, 2720681, 2720691 (Fax): +91-522-2720764

Ref No. - 192169/UPPCB/Aligarh(UPPCBRO)/CTO/both/ALIGARH/2023 **Dated : 22/09/2023**

To ,

M/S GOODSSHED HARDUAGANJ
GOODS SHED HARDUAGANJ
Railway Station Harduaganj, Aligarh, U.P.,ALIGARH,202125
ALIGARH

Sub : **Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) Application under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundry Movement) Rules , 2016.**

Kindly refer to your Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) application dated 30/08/2023 and received on 30/08/2023under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act,1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundry Movement) Rules, 2016. Your application and the information submitted by you have been examined along with the facts found during inspection made by officers of UPPCB on 22/09/2023 . Your consent application is hereby refused due to following reason.

Reasons :-

CTO application submitted on dt. 30.08.2023. Online clarification was raised by this office on dt. 04.09.2023 for seeking the requisite information. The desired information has not been uploaded through online or off-line that the No documents have been submitted by the unit regarding establishment. The land papers have not been uploaded in the name of the person who is the owner/partner of the unit and the land use certificate has also not been uploaded. 2. The unit has not uploaded the information regarding air pollution control device. 3. The unit has not uploaded ground water NOC. 4. In Hon'ble NGT Harduaganj railway sitting clinker loading-unloading matter O.A. No.-537/2022 Mukesh kumar chauhan Vs State of U.P. is under process. 5. The unit has not uploaded CA certified balance sheet. No any Air Pollution Control System installed at site. In the above circumstances desired information & above reasons it is not possible to process this application further necessary action. So its CTO application is being rejected /refused.

The Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) Application under section 25/26 of Water (Prevention & Control of

Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundry Movement) Rules , 2016 is hereby refused. Further, you are hereby informed to comply with the mandatory provisions of Water Act 1974, Air Act 1981 and HWM Rules 2016

This order is issued with the approval of competent authority.

(Authorized Signatory)

Jaipal Singh Digitally signed by Jaipal Singh Date: 2023.09.22 16:17:53 +05'30'

JAIPAL SINGH
REGIONAL OFFICER (I)

Copy To -

CEO-4, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.

Jaipal Singh Digitally signed by Jaipal Singh Date: 2023.09.22 16:18:01 +05'30'

JAIPAL SINGH
REGIONAL OFFICER (I)
(Authorized Signatory)

मिशन LiFE - पर्यावरण के लिए जीवन शैली

(Lifestyle For Environment)

जनसहभागिता का सन्देश

- स्वच्छता – देशसेवा में अपने परिवेश की स्वच्छता हेतु अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करें
- संकल्प लें -एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद जैसे कप, तश्तरी, चम्मच, स्ट्रॉ, ईयरबड्स आदि का उपयोग न हो एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्पों जैसे कागज/पत्तों से बने दोने या कटलरी को प्राथमिकता दी जाय |
- एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद के प्रयोग को रोकने एवं प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े के थैले का उपयोग करने मात्र से 375 मिलियन टन ठोस (प्लास्टिक) कचरे का उत्सर्जन बचाया जा सकता है
- चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) का समुचित कार्यान्वियन वर्ष 2030 तक लगभग 14 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बचत उत्पन्न कर सकता है | वेस्ट /अपशिष्ट फेकने के पूर्व सोचें, ये किसी का संसाधन तो नहीं ...?
- अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को कचरे में फेकने से रुकें | इसके उपयुक्त निस्तारण हेतु इसे प्राधिकृत ई – वेस्ट रीसाइकलर को दें | प्राधिकृत ई-रीसाइक्लिंग इकाई में अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को देने मात्र से 0.75 मिलियन टन तक ई-कचरे का पुनर्चक्रण किया जा सकता है एवं ई-कचरे के विषम पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है
- बाहर जाते समय - सोचें कि क्या आपको वास्तव में परिवहन की आवश्यकता है - वह भी क्या व्यक्तिगत रूप से ? छोटी दूरी के लिए पैदल चलना पसंद करें, अथवा सम्भव हो तो कार पूल के रूप में संसाधन को साझा करें अथवा सार्वजनिक परिवहन पर विचार करें
- घरेलू स्तर पर कम से कम ठोस अपशिष्ट का उत्सर्जन करें और इनका प्थाक्कीकरण करें
- उपयोगी शेष खाद्य सामग्री आपके स्वयं प्रयास अथवा निकटस्थ सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता से समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचाई जा सकती है | वहीं अनुपयोगी भोजन /खाद्य सामग्री को कंपोस्ट (वर्मी कम्पोस्ट) करने से 15 अरब टन भोजन को नष्ट होने से बचाया जा सकता है
- ध्यान रखें - उपयुक्त नल और शावर के उपयोग से पानी की खपत को 30 - 40% तक कम किया जा सकता है। एवं उपयोग में न होने पर नलों को बंद रखने मात्र से 9 ट्रिलियन लीटर पानी बचाया जा सकता है
- ट्रैफिक लाइट/रेलवे क्रॉसिंग पर कार/स्कूटर के इंजन बंद करने मात्र से 22.5 बिलियन kWh तक ऊर्जा की बचत हो सकती है
- परम्परागत बल्ब के स्थान पर CFL का उपयोग बिजली की खपत में प्रभावी कमी लाते हैं | उपयोग में न होने पर बिजली उपकरणों को बंद करें | स्टार रेटेड विद्युत उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दें

हमारे द्वारा अपनी जीवन शैली की प्राथमिकताओं का उचित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्निर्धारण समाज और पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व है |

Annexure-IV

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

पत्रांक : 1H 02433 /सी–4/सा–II–846/2023 दिनांक : 30-10-23

सेवा में,
जिलाधिकारी,
अलीगढ़।

विषयः स्टेशन अधीक्षक, मै0 हरदुआगंज रेलवे स्टेशन, जनपद–अलीगढ़ के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की भू–राजस्व की भाँति वसूली के संबंध में।

महोदय,

कृपया बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच01141/सी–4/सा–II–844/पर्या0क्षति0/2023, दिनांक 22.09.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जोकि आपको भी पृष्ठांकित है (छायाप्रति संलग्न)। उक्त पत्र के माध्यम से स्टेशन अधीक्षक, मै0 हरदुआगंज रेलवे स्टेशन, जनपद–अलीगढ़ के विरूद्ध रू0 1,68,750/– (रू0 एक लाख अडसठ हजार सात सौ पचास मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी। बोर्ड अभिलेखों के अनुसार उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा नहीं की गयी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि स्टेशन अधीक्षक, मै0 हरदुआगंज रेलवे स्टेशन, जनपद–अलीगढ़ के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की अधिरोपित धनराशि रू0 1,68,750/– (रू0 एक लाख अड़सठ हजार सात सौ पचास मात्र) की वसूली भू–राजस्व के बकाये की भाँति करते हुए उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के बैंक खाता सं0–701502010002104 IFSC Code UBINO570150 में जमा कराकर बोर्ड को सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय कुमार शर्मा)
सदस्य सचिव

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. अनु सचिव, पर्यावरण अनुभाग–6, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रकरण पर शासन स्तर से नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी, अलीगढ़ से समन्वय स्थापित कर वसूली संबंधी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव

टी.सी.–12वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

T.C.-12V., Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
E-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com